कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा।

(Email id- rtasaranbihar@gmail.com)

पत्रांक **568**/परि0, छपरा, दिनांक **27/12/2024**

बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा की कैलेण्डर वर्ष 2025 के लिए बैठक की तिथि, आवेदन एवं आपत्ति करने की तिथि निम्नवत् रूप से निर्धारित किया जाता है:–

क्र0	माह का नाम	बैठक की तिथि	आवेदन प्राप्ति की तिथि	प्रकाशनोपरांत आपत्ति की तिथि	अभियुक्ति
1	जनवरी, 2025	30.01.2025	04.01.25–10.01.25	13.01.25–16.01.25	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
2	फरवरी, 2025	27.02.2025	05.02.25–10.02.25	13.02.25–17.02.25	तथैव
3	मार्च, 2025	27.03.2025	05.03.25–10.03.25	12.03.25–17.03.25	तथैव
4	अप्रैल, 2025	29.04.2025	04.04.25–09.04.25	12.04.25–16.04.25	तथैव
5	मई, 2025	29.05.2025	05.05.25–10.05.25	13.05.25–16.05.25	तथैव
6	जुन, 2025	26.06.2025	04.06.25–09.06.25	12.06.25–14.06.25	तथैव
7	जुलाई, 2025	29.07.2025	04.07.25–09.07.25	11.07.25–14.07.25	तथैव
8	अगस्त, 2025	28.08.2025	04.08.25–08.08.25	11.08.25–14.08.25	तथैव
9	सितम्बर, 2025	25.09.2025	04.09.25–09.09.25	11.09.25–15.09.25	तथैव
10	अक्टूबर, 2025	30.10.2025	04.10.25–09.10.25	11.10.25–14.10.25	तथैव
11	नवम्बर, 2025	27.11.2025	06.11.25–11.11.25	13.11.25–17.11.25	तथैव
12	दिसम्बर, 2025	30.12.2025	04.12.25–09.12.25	11.12.25–15.12.25	तथैव

नोटः– बैठक की निर्धारित तिथि में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। **उक्त सभी बैठक अपराह्न 03:00 बजे से V.C के माध्यम से हाईब्रिड मोड में आयोजित की जायेगी।** आवेदकगण अपने जिला परिवहन कार्यालय यथा– सारण, सीवान, गोपालगंज के जिला परिवहन कार्यालय से V.C के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते है।

(1) सभी संबंधितों से अनुरोध है कि आगामी बैठकों के लिए परमिट हेतु आवेदन करने एवं आपत्ति करने से पूर्व प्राधिकार की उससे पूर्व में सम्पन्न बैठकों की कार्यवाही का अनिवार्य रूप से अवलोकन/अध्ययन कर तत्समय प्रभावी प्रावधानों से अवगत हो लेगें। बैठक की कार्यवाही एवं सूचना आदि को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने के साथ–साथ आयुक्त कार्यालय, सारण के बेवसाईट (https://sarandivision.bih.nic.in) पर भी प्रकाशित की जाती है, जहाँ से सुलभता पूर्वक कार्यवाही एवं अन्य आवश्यक सूचना आदि की प्रति प्राप्त कर तत्समय प्रभावी प्रावधानों से अवगत हुआ जा सकता है।

(2). परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जायेगा। कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर सख्या–01 पर उपलब्ध कराना या ई–मेल rtasaranbihar@gmail-com पर भेजना आवश्यक हैः–

(i) वाहन स्वामी के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) चेक लिस्ट।

(iii) निबंधन पुस्त की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) टैक्स की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(v) दुरूस्ती प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) बीमा प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(vii) प्रदूषण प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(viii) वाहन के अन्दर बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के पश्चात् आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। जिससे वाहन के अन्दर बैठान

क्षमता, ए०सी०/नॉन ए०सी०, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(ix) विहित प्रपत्र में शपथ–पत्र।

(x) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति।

(xi) मार्ग का वैद्य नक्शा / नजरी नक्शा।

(xii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रूपये डाक टिकट के साथ ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(xiii) समय–सारणी (विहित प्रपत्र में) चार प्रति में।

नोटः–विहित प्रपत्र आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट **https://sarandivision.bih.nic.in** पर उपलब्ध है।

(3). वाहन स्वामी अधिसूचित मार्ग पर ही परमिट हेतु आवेदन दे सकेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वाहन के आने–जाने का परिचालन मार्ग एक ही हो तथा दो प्राधिकार के अन्तर्गत ही मान्य होगा।

(4). प्रकाशित समय–सारणी के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता वाहन के सभी मान्य कागजातों एवं निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति विहित प्रपत्र में ई–मेल **rtasaranbihar@gmail-com** पर भेज सकते है या कार्यालय में काउण्टर संख्या 01 पर जमा कर सकते हैं। अधूरे कागजातों एवं निर्धारित शुल्क में कमी के साथ आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

(5). आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर समय टकराव के बिंदु पर आपत्ति करने की स्थिति में आपत्तिकर्त्ता द्वारा अपने परमिट के मार्ग का नक्शा संलग्न करना अनिवार्य होगा, ताकि स्पष्टता से जाँच की जा सके कि आवेदित मार्ग एवं आपत्तिकर्त्ता के परमिट का मार्ग एक–दुसरे को कितना प्रतिशत आच्छादित कर रही है। बैठक की निर्धारित तिथि को आवेदक एवं आपत्तिकर्ता की उपस्थिति सभी मान्य कागजातों की मूल प्रतियों के साथ वांछनीय होगी।

(6). बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक एवं आपत्तिकर्ता अपनी उपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते है। एक प्रतिनिधि मात्र एक वाहन स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

(7). विभाग एवं सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित निदेशादि प्रभावी होंगे।

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा के आदेशानुसार,

Signed by
Sudha Gupta
Date: 27-12-2024 18:29:27

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा।